न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 79/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रोहिताश कुमार पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर

2. वेदप्रकाश पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांटस

बनाम

1 सुशीला बाई पत्नी धर्मचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बानसूर
दिनांक 19.9.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :– श्री ब्रहमप्रकाश यादव

निर्णय दिनांक 31.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1749/2015 अन्तर्गत धारा 251 क आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया गया है ।

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुशीला ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 471, 470, 469, 468 वाके ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है । आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 22 एयर में प्रार्थीया ने रिहायश बना रखी है । आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 63 एयर वाके ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है । अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 423 के उत्तर से दक्षिण बतरफ पूर्व की भूमि में अरसे दराज से मौके पर रास्ता कायम है, जो रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक पहुंचता है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक नहीं जाता है । प्रार्थीया उक्त रास्ते से ही खेत ट्रैक्टर, हल व पशुधन को लाने ले जाने के काम में लेती है । परन्तु अब अप्रार्थीगण आने जाने में रूकावट पैदा करते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांटस अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि हमारी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 423 के उत्तर से दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 454 व 470 के पूर्व से पश्चिम मे अरसे दराज से कोई रास्ता मौजूद नहीं है । राजस्व अभिलेख में ऐसा कोई रास्ता दर्ज नहीं है, अपितू हम सभी दीगर व्यक्तियों की भूमि से ही आवाजाही करते हैं । हमने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 423 में पुख्ता मकानात में आवाजाही हेतु रास्ता बना रखा है । भूमि खसरा नम्बर 423 के उत्तर में खसरा नम्बर 446, 424, 425, 426, 418, 417, 411, 410 स्थित है, जिनके खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि खसरा नम्बर 410 के उत्तर में आम रास्ता स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा को जाता है । हमारे निवास भूमि खसरा नम्बर 410 के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 403 की दूरी लगभग 01 किमी से भी अधिक है, परन्तु प्रार्थीया ने उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुये हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । धारा 251 क आर0 टी0 एक्ट नये रास्ते की प्राप्ति हेतु अथवा पुराने रास्ते की चौडाई बढाये जाने के संदर्भ में व्यवस्था करती है । प्रार्थीया ने अपने प्रा0 पत्र में ऐसे किसी भी अभिवचन का अंकन नहीं किया है और ना ही आवश्यक लोगों को पक्षकार बनाया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मेनेटिनेबल नहीं है । धारा 251 क के अनुसार

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

काश्तकारों के पास पूर्व में कोई रास्ता मौजूद ना हो तो इस धारा के अन्तर्गत नया रास्ता कायम किया जा सकता है और ऐसा रास्ता जो संकरा हो तो उसको चौडा किया जा सकता है । जबकि मौजूदा प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है । अर्थात प्रा0 पत्र में ऐसे कोई भी अभिवचन अंकित नहीं किये गये हैं । खसरा नम्बर 410 के उत्तर दिशा में पहले से ही रास्ता कायम है । तहसीलदार बानसूर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.1.2017 में ग्राम सांथलपुर जाने वाली सडक से दक्षिण में खसरा नम्बर 410 चारागाह, 411, 417, 418, 424, 425, 423 में से लगभग 8 फुट रास्ता बना होने, हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423 के पूर्वी मेड पर हमारे मकान बना होने, मकान के आगे खसरा नम्बर 423 में रास्ता बन्द होने, खसरा नम्बर 474, 475 में एक पगडंडी बनी होने बाबत उल्लेख किया गया था ,परन्तु इस रिपोर्ट पर तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423 में केवल हमारे आवासीय मकान तक ही पगडंडीनुमा रास्ता है, उसके आगे रास्ता 474, 475 में से केवल पगडंडीनुमा रास्ता जा रहा है, उसी आराजी में से रास्ता कायम करना चाहिये था । तहत न्यायालय ने 2 बार रिपोर्ट मंगाई, लेकिन निर्णित नहीं किया । खसरा नम्बर 474 व 475 वालो को रास्ता के लिए कोई आपत्ति नहीं है तो फिर वहीं से प्रार्थीया रास्ता क्यों नहीं लेती, हमारी आराजी में से ही रास्ता क्यों लेना चाहती है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में धारा 251 क आर0 टी0 एक्ट, 2017 आर0 आर0 डी0 515, आर0 आर0 टी0 2014 (1) पेज 40, आर0 आर0 टी0 2017 (1) पेज 423 का हवाला दिया ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि धारा 251 एवं 251 क आर0 टी0 एक्ट अलग अलग प्रावधान करती हैं । अगर पहले से कायम रास्ता को बन्द कर दिया गया है तो उसे खुलवाने के लिये धारा 251 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में दिया जाता है और अगर अपने खातेदारी की भूमि में आवाजाही करने के लिये रास्ता नहीं है तो नजदीक के खेत से रास्ता चाहने के लिये धारा 251 क का प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय में दिया जाता है । हमने रास्ता चाहा है, इसलिये हमारा प्रार्थना पत्र मैनेटिनेबल है । मौका रिपोर्ट दिनांक 4.1.18 का अवलोकन फरमावें । इनके मकानात खसरा

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नम्बर 448 में बने हुये हैं, खसरा नम्बर 423 में मकान नहीं है । इसी खसरा नम्बर में हमने रास्ता चाहा है । धारा 251 क की मन्शा यही है कि पास के खेत से जो सुलभ हो, आवाजाही के लिये डी0 एल0 सी0 पर रास्ता दिया जाना चाहिये । जिन लोगों से खेत से मैं रास्ता चाहा ही नहीं रहा हूं तो फिर उनको पक्षकार क्यों बनावें । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 473 व 474 में ही है । इसलिये उसमें से रास्ता लेने अथवा उसे खुलवाने के लिये धारा 251 के तहत इनको सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था । तहत न्यायालय में 3 नक्शे प्रस्तुत किये गये हैं । उनसे खसरा नम्बर 474, 474 में रास्ता पाया गया है । प्रार्थीया ने नक्शा आदि कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया ,जिनसे उसके अभिवचनों की ताईद होती हो । प्रार्थीया का प्रा0 पत्र सारहीन है ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । साथ ही विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों का भी गहराई से अध्ययन किया । सर्वप्रथम हमने विद्वान वकील अपीलांट की इस आपत्ति पर गौर किया कि प्रार्थना पत्र मैनेटिनेबल नहीं है । इस सम्बन्ध में हमने धारा 251 क का अध्ययन किया । इस धारा में प्रावधान है कि अगर किसी खातेदार के पास अपने खेत में आवाजाही के लिये कोई रास्ता नहीं है तो वह पडौस के खेत से डी0 एल0 सी0 रेट पर रास्ता ले सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया अपने नजदीक के खेत से रास्ता लेना चाहती है, जो कि धारा 251 क में कवर होती है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रा0 पत्र मैनेटिनेबल है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार बानसूर से सांथलपुर जाने वाली सडक से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 410 चारागाह, 411, 417, 418, 424, 425 व 423 में से लगभग 8 फुट चौडा रास्ता बना हुआ है । खसरा नम्बर 423 की पूर्वी मेड पर रोहिताश यादव अप्रार्थी के मकान तक यह रास्ता चालू है । बंद रास्ते के पास खसरा नम्बर 474 व 475 में एक पगडंडी बनी हुई है । जिससे प्रार्थीया आवागमन करती है । वाहन आने जाने का रास्ता नहीं है ।

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

8 पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेज यथा नक्शा ट्रेस सम्वत 2059, तहसीलदार की रिपोर्ट, जमाबन्दी सम्वत 2073 आदि के अवलोकन से यह सिद्ध है कि प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 471 तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता नहीं है । धारा 251 क आर0 टी0 एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी खातेदार के पास अपने खेत में आने जाने, कृषि यन्त्र लाने ले जाने, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो वह अपने निकटतम खेत से डी0 एल0 सी0 की रेट पर रास्ता ले सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया के पास अपने खेतों में आवाजाही के लिये अपने निकटतम खेत खसरा नम्बर 423 में डी0 एल0 सी0 रेट पर रास्ता चाहती है, जो कि वह धारा 251 क प्रावधानों के तहत पाने की अधिकारिणी है। धारा 251 क के प्रावधानों में उचित विकल्प के आधार पर रास्ते का प्रावधान है । तहत अदालत ने मौका रिपोर्ट तथा नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीया रेस्पो0 के लिये नये रास्ते का प्रावधान किया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

9 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.9.2017 यथावत रखा जाता है ।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/11/2017

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner